हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]01/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। चूंकि मूल प्रार्थना पत्र निर्णीत हो चुका है जिससे अब यह निगरानी प्रकरण मे अब कोई औचित्य शेष नहीं रहा है अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 29/07/20 निरस्त की जाकर प्रकरण मूल प्रार्थना पत्र निर्णीत होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:02:52 IST
Reason: SelfAttested